राजस्थान सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–निसंशि / IPR / 2018 / जयपुर, /24958–25358 दिनांक :– 27/6/2018

1. समस्त प्राचार्य
राजकीय आचार्य / शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान
2. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
राजस्थान।
3. समस्त आहरण वितरण अधिकारी
वरिष्ठ उपाध्याय / प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, राजस्थान

विषयः–समस्त आहरण वितरण अधिकारियो द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण को स्वयं SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज साफटवेयर मे IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन करने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः राज्य सरकार का पत्रांक पं.13(76)कार्मिक / क–1 / गो.प्र. / 2011 / जयपुर दिनांक 15.03.2018

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक निसंशि / IPR / 2016 / 12415–800 ज़यपुर, दिनांक :–23.03.18

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी प्रसंगोक्त समसंख्यक परिपत्र 23.03.2018 के माध्यम से समस्त राजपत्रित अधिकारियों को अपना अचल सम्पत्ति विवरण वर्ष (1 जनवरी 2018 की स्थिति में) स्वयं के SSO-ID से लॉग–इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर पर IPR MODULE द्वारा अनिवार्य रूप से ऑन लाईन किया जाना था।

उक्त प्रासंगिक परिपत्र में ही यह भी स्पष्ट निर्देश प्रदान कर दिये गये थे कि निश्चित समय सीमा में अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन नहीं भरने की स्थिति में आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि जारी नहीं की जायेगी।

अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जुलाई–2018 में वार्षिक वेतन वृद्धि जारी करने से पूर्व यह पूर्णताया सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना स्वयं का एवं आपके अधीन कार्यरत राजपत्रित कार्मिक का अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन कर दिया है, अन्यथा अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन नहीं किये जाने की स्थिति में यदि जुलाई–2018 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि जारी की जाती है तो इस क्रम समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी, तथा नियमानुसार आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डॉ भास्कर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. समस्त संस्थापन अनुभाग प्रभारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
2. कार्यालयाध्यक्ष, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जुलाई 2018 की वार्षिक वेतन वृद्धि जारी करने से पूर्व उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
3. वेबसाईट प्रभारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा को वेबसाईट पर उक्त परिपत्र को अपलोड करने हेतु
4. रक्षित पंजिका

(डॉ भास्कर शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर